दिनांक 01.04.2010 से कार्यान्वित की जाने वाली उत्पादन योजना पर विपणन विकास सहायता (एमडीए) के दिशा-निर्देश

1 पृष्ठभूमिः

1.1 खादी लगभग 10 लाख पारम्परिक ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से काता तथा बुना हुआ वस्त्र है। हाथ से बुनने तथा काते जाने की विशिष्टता खादी की बिक्री का प्रमुख घटक है। भारत सरकार बाजार मे अन्य वस्त्र उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खादी उत्पादों को सुविधा प्रदान करने के क्रम में बिक्री संवर्धन सहायता उपलब्ध कराती रही है, जिसे आमतौर पर खादी की फुटकर बिक्री पर रिबेट के रूप में जाना जाता है।

1.2 रिबेट योजना फुटकर बिक्री स्तर पर खादी और पॉलीवस्त्र पर डिस्काउंट (छूट) उपलब्ध कराती है। इसके सामान्य और विशेष नामक दो घटक हैं। सामान्य रिबेट रील्ड सिल्क को छोड़कर खादी वस्तुओं पर पूरे वर्ष 10 प्रतिशत की एक समान दर से दी जाती है। सामान्य रिबेट के अलावा वर्ष में स्थानीय त्यौहारों की सामंजस्यता में सभी खादी वस्तुओं पर 108 दिनों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विशेष रिबेट भी दी जाती है।

1.3 खादी की बिक्री बढ़ाने में रिबेट योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनेक समितियों द्वारा इस पर अध्ययन किया गया है। उक्त समितियों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने अनेक पायलट योजनाओं के साथ प्रयोग करने के बाद रिबेट के स्थान पर उत्पादन पर विपणन विकास सहायता (एमडीए) शुरू करने का निर्णय लिया। योजना 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी। यह योजना ग्राहकों के लिए खादी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कारीगरों की आय में वृद्धि करने पर पर्याप्त बल देते हुए और खादी की गतिविधियों को पुनःस्थापित करते हुए खादी क्षेत्र की सहायता करेगी।

1.4 एमडीए योजना की मुख्य विशेषताएं :

1.4.1 लागत चार्ट केवल एमडीए गणना करने के आधार के रूप में कार्य करने के लिए 'वेट प्रोसेसिंग' अवस्था तक कच्ची खादी के उत्पादन मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से चालू रहेगा। इस प्रकार एमडीए योजना में लागत चार्ट से बिक्री मूल्य को अनियंत्रित तथा असंबद्ध कर दिया जाएगा तथा संस्थाओं को खादी मूल्य संवर्धन का मौका दिया जाएगा ताकि उत्पादों को बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचा जा सके। संक्षेप में, योजना खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादों के लिए गतिशील मूल्य की संभावनाएं प्रदान करती है।

1.4.2 उत्पादन पर एमडीए योजना का उद्देश्य विद्यमान रिबेट योजना से भिन्न पूरे वर्ष बिक्री का समान वितरण करना है, वहीं वर्तमान रिबेट योजना में अधिकतर बिक्री 108 दिनों के विशेष रिबेट सीजन के दौरान होती है।

1.4.3 पूरे वर्ष समान रूप से होने वाली बिक्री से खादी संस्थाओं को सामान सूची कम करने में सहायता होगी, इस प्रकार यह योजना आवश्यक कार्यशील पूंजी की गतिशीलता के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान करती है।

1.4.4 एमडीए सहायता का एक निर्धारित हिस्सा विशेष प्रोत्साहन/बोनस के रूप में सीधे कारीगरों को जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

1.4.5 एमडीए योजना के अधीन उत्पादन के लिए संस्थावार लक्ष्यांक राज्य स्तरीय बजटीय कार्य की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से तय किए जाएंगे और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थाई वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।

1.4.6 एमडीए सहायता, संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दावों के समक्ष तिमाही आधार पर जारी की जाएगी।

1.4.7 एमडीए केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों (2010-11 और 2011-12) के लिए प्रस्तावित की गई है। इसके बाद प्रोत्साहन की दो प्रणालियां नामतः खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के अधीन तैयार की जाने वाली उत्पादन प्रोत्साहन और उत्पादन प्रोत्साहन के प्रभाव अध्ययन के आधार पर एकीकृत एमडीए, लागू की जाएगी। एमडीए खादी बाजार के उच्च कीमत खंड के प्रति पक्षपात नहीं करेगी और खादी संस्थाओं को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करने की नम्यता (छूट) होगी। जो संस्था उत्पादन प्रोत्साहन का लाभ ले रही है वह उसी समय एमडीए के लिए पात्र नहीं होगी।

2. एमडीए की परिभाषा :

उत्पादन पर एमडीए, प्रमाणित खादी संस्थाओं द्वारा खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन पर हुई लागत पर उपलब्ध कराए जाने वाली एक प्रस्तावित सहायता है। केवल वे खादी संस्थाएं जिनके पास वैध खादी प्रमाणपत्र हैं और जो ए+, ए, बी, और सी श्रेणी में आती हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग से एमडीए अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

3. एमडीए की दर

एमडीए, उस वर्ष के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थाई वित्त समिति द्वारा अनुमोदित उत्पादन लक्ष्यांकों की सीमा तक खादी (सूती, रेशमी, ऊनी) तथा पॉलीवस्त्र की उत्पादन लागत पर 20% की दर से अनुमन्य है।

4. उत्पादन की परिभाषा :

4.1 खादी उत्पादन गतिविधि, खादी की कताई, बुनाई और वेट प्रोसेसिंग की एक संयुक्त गतिविधि है, जिसमें कच्चे माल की लागत, पंजीकृत कत्तिनों द्वारा हाथ से कताई एवं पंजीकृत बुनकरों द्वारा करघों पर बुनाई, कत्तिनों/रीलरों, बुनकरों का पारिश्रमिक, रूपांतरण प्रभार तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान, वेट प्रोसेसिंग (ब्लीचिंग, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिटिंग) आदि शामिल है। **खादी कपड़े का रेडी टू वियर (पहनने के लिए तैयार और रेडी टू यूज (उपयोग के लिए तैयार) वस्तुओं में रूपान्तरण उत्पादन लागत में शामिल नहीं होगा।**

4.2 उत्पादन लागत

एमडीए के उद्देश्य के लिए खादी और पॉलीवस्त्र के संदर्भ में उत्पादन लागत में निम्नलिखित शामिल है :

कच्चे माल की लागत

\+

कताई/रीलिंग और बुनाई प्रभार, इसमें प्रोसेस वेस्टेज, कारीगर प्रोत्साहन और कारीगर कल्याण निधि इत्यादि शामिल है

\+

वेट प्रशोधन अर्थात् प्रोसेस वेस्टेज सहित ब्लीचिंग, डाइंग, मर्सराइजिंग, फिनिशिंग और प्रिटिंग प्रभार

\+

अनुमन्य प्रावधान जैसे कि व्यापार खर्च, बैंक ब्याज, बीमा इत्यादि*

\+

अनुमन्य मार्जिन**
(स्थापना खर्चे को पूरा करने के लिए)

रिबेट तथा एमडीए के घटक पर एक तुलना अनुबंध ‘क’ पर दर्शाई गई है

टिप्पणी :

- कपड़े को रेडीमेड वस्त्रों में बदलने, कसीदाकारी इत्यादि के लिए मूल्य संवर्धन प्रभार उत्पादन लागत में शामिल नहीं होगा, चूंकि बाजारी शक्तियां इस प्रकार के मूल्य संबंधित उत्पादों के मूल्य निर्धारित करेगी।
- एमडीए के उद्देश्य के लिए **उत्पादक संस्था** का आशय खादी की उत्पादन गतिविधि में लगी संस्था से है।
- एमडीए के उद्देश्य के लिए **बिक्री संस्था** अथवा बिक्री केंद्रों जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय संचालित इकाइयॉं शामिल हैं, का आशय उन संस्थाओं से है जो उत्पादक संस्थाओं से खादी खरीदकर उसकी बिक्री की गतिविधियों में लगी हुई हैं।
- **संयुक्त सस्थाओं** का आशय है खादी के उत्पादन और बिक्री दोनों गतिविधियों में लगी हुई संस्थाएँ।
- संयुक्त संस्थाएं विशिष्ट उत्पादक संस्थाओं से खादी खरीद भी सकती है और वे बिक्री करने वाली संस्थाओं को खादी बेच भी सकती है।
- खादी के संदर्भ में उत्पादन आधारित एमडीए की गणना का फार्मूला पॉलीवस्त्र के लिए भी लागू होगा।

* अनुमन्य प्रावधानों के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विद्यमान दिशा-निर्देशों में व्यापार खर्च, बैंक ब्याज, बीमा के लिए **मुख्य लागत पर** क्रमशः 3%, 4%, और 1% की दर से प्रावधान शामिल हैं।

** अनुमन्य मार्जिन मनी से अभिप्राय स्थापना खर्च को पूरा करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की केन्द्रीय प्रमाणपत्र समिति से अनुमति प्राप्त मार्जिन से है। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार सूती खादी के लिए अनुमन्य स्थापना मार्जिन मूल लागत पर 20% है और यह खर्च मस्लिन, ऊनी और रेश्मी के लिए 25% है। पॉलीवस्त्र के लिए भी मूल लागत पर 25% मार्जिन अनुमन्य है।

- **मुख्य लागत** से अभिप्राय है कच्चे माल की लागत तथा कोरे कपड़े तक परिवर्तन प्रभार और प्रसंस्करण प्रभार, लेकिन इसमें व्यापारिक खर्च (3%), बैंक ब्याज (4%), बीमा (1%) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लागत ढांचे के अनुसार स्थापना खर्च के लिए प्रावधान शामिल नहीं है।

5 एमडीए अनुदान के उपयोग हेतु पद्धति और उद्देश्य

5.1 उत्पादन पर एमडीए योजना प्रमाणिक और वास्तविक हस्तक्षेप करने, खादी और पॉलिवस्त्र के बाजार को सुधारने, कारीगरों की आय में वृद्धि करने के मानदंडो को अपनाने के लिए निधियों के आवश्यकता आधारित उपयोग के लिए खादी संस्थाओं को छूट प्रदान करती है। तद्नुसार, खादी तथा पॉलीवस्त्र की उत्पादन लागत के 20% की दर से प्रस्तावित एमडीए को नीचे दिए गए अनुसार कारीगरों, खादी उत्पादन तथा बिक्री करने वाली संस्थाओं के बीच बांटा जाएगा।

5.2 उत्पादन पर एमडीए की कुल राशि का दावा उत्पादक संस्थाओं द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग से किया जाएगा तथा पणधारियों अर्थात् कत्तिनों और बुनकरों, उत्पादन तथा बिक्री करने वाली संस्थाओं के बीच क्रमशः 25%, 30%, और 45% की दर से बॉटा जाएगा।

5.3 कुल एमडीए राशि का 25%, कत्तिनों और बुनकरों को लागत चार्ट में निर्धारित अनुसार उनके सामान्य उपार्जन के अतिरिक्त उनके बैंक अथवा डाकघर खाते के माध्यम से प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में दिया जाएगा। एमडीए अनुदान में से इस प्रकार की अतिरिक्त मजदूरी को खादी की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

5.4 एमडीए राशि का उपर्युक्त 25% श्रमिकों को सहायता देने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, जो कि संस्था के कर्मचारी है और जो उत्पादन गतिविधियों और बिक्री/विपणन, लेखा संबंधी आदि की देखरेख में लगे हैं।

5.5 कुल एमडीए राशि के 30% को खादी उत्पादक संस्थाओं द्वारा उपकरणों/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

5.6 उत्पादक संस्था योजना के अनुसार बिक्री संस्था के लिए चिह्नित कुल एमडीए राशि के 45% को थोक बिक्री के समय बिक्री संस्था को हस्तान्तरित करेगी। **हस्तांतरण इनवॉइस (बीजक) के माध्यम से किया जाना चाहिए।** इस एमडीए राशि का उपयोग बिक्री संस्था द्वारा बिक्री भंडारों की मरम्मत/परिवर्तन, बिक्री सहायकों के प्रशिक्षण,कम्प्यूटरीकरण, डिजाइनों के विकास, प्रचार, छूट (यदि आवश्यक है) के लिए किया जाएगा। थोक में खादी की बिक्री करने वाली खादी संस्थाओं को उस (कुल एमडीए का 45%) खरीद करने वाली संस्था को हस्तांतरित करना पडेगा।

5.7 खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थाई वित्त समिति द्वारा अनुमोदित थोक बिक्री लक्ष्यांकों के समाक्ष डीजीएस एंड डी की दर संविदा के अंतर्गत सरकारी आपूर्ति के उद्देश्य हेतु किए जाने वाले खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादों का उत्पादन एमडीए के लिए पूर्ण रूप से पात्र नहीं है, क्योंकि उक्त सामान फुटकर बिक्री भंडारों के माध्यम से नहीं बेचा जाता है। इस प्रकार, ऐसा सामान फुटकर गतिविधियों के लिए चिन्हित एमडीए सहायता के योग्य नहीं है। अतः 'आरसी' मदें सामान्य खादी के लिए लागू 20% के बजाय 11% एमडीए के लिए पात्र होगी।

5.8 इस फार्मूले में किसी भी प्रकार का संशोधन वास्तविक कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग के बाद और योजना में अवलोकित किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर करने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जब भी आवश्यक होगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

6. कारीगरों की मजदूरी बढ़ाने के कदम/सुरक्षा

कारीगरों का अधिक से अधिक उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा।

क विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निधियों की उपयोगिता हेतु शपथपत्र प्राप्त करते समय संस्था द्वारा एमडीए दावा फार्मेट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि संस्था कपड़े और डिजाइन की गुणवत्ता में समझौता किए बगैर कारीगरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।

ख संस्था द्वारा कारीगरों को नियमित अंतराल पर भुगतान करना होगा, भुगतान प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन में और एक माह के भीतर किया जाएगा तथा उक्त भुगतान बैंक अथवा डाकघर खाते के माध्यम से करना होगा और प्रत्येक कारीगर को किए गए भुगतान के सत्यापन के लिए एक रिकार्ड का रखरखाव करना होगा।

ग संस्था राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण कोष, राज्य स्तरीय न्यास में धन जमा करेगी और राशि भेजने की रसीद दावा फार्मेट के साथ संलग्न होनी चाहिए।

घ संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना और समय-समय पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खादी और ग्रामोद्योग

आयोग द्वारा शुरू की जाने वाली इसी प्रकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की परिधि में सभी कारीगरों को लाना होगा।

च **एमडीए की तिमाही राशि जारी करने के लिए दावे प्रस्तुत करते समय उत्पादक संस्था को इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पिछली तिमाही के लिए क्रमशः 25% और 45% के अनुपात में कत्तिनों, बुनकरों और बिक्री संस्थाओं को एमडीए का हिस्सा उनकी संतुष्टि के लिए जारी कर दिया गया है।** इस संबंध में किसी भी प्रकार की चूक को अगली तिमाही के लिए एमडीए का भुगतान जारी करने से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

छ प्रत्येक संस्था के एमडीए दावों का निपटान करते समय खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ज खादी और ग्रामोद्योग आयोग एमडीए दावों के कम से कम 10% दावों की आकस्मिक जॉच करेगा, जिनमें कारीगरों को जारी पासबुक और उनको किए गए अन्य भुगतान तथा क्षमता निर्माण इत्यादि पर किए गए खर्च के संबंध में सभी प्रकार के लेन-देन का वास्तविक सत्यापन भी शामिल है।

7 एमडीए दावों की आवधिकता

7.1 उत्पादक संस्थाए वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर एमडीए के तिमाही दावे प्रस्तुत करेंगी। यदि कोई अंतर हो, तो उसे चार्टेड अकाउटेंट द्वारा लेखा परीक्षित खातों के आधार पर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में समायोजित किया जाएगा। एमडीए नीचे दिए गए अनुसार तिमाही आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर, इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रतिपूरित किया जाएगाः

एमडीए दावों की अवधि (तिमाहीः I/II/III/IV)	**जिस तारीख तक संस्था को एमडीए दावे प्रस्तुत करने हैं**	**जिस तारीख तक रा.का./मं.का. द्वारा एमडीए दावों का निपटान करना है**
तिमाही I	15 जुलाई	15 अगस्त
तिमाही II	15 अक्टूबर	15 नवम्बर
तिमाही III	15 जनवरी	15 फरवरी

तिमाही IV	15 अप्रैल	15 मई

7.2 इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालय द्वारा एमडीए दावों के निपटान में जारी वास्तविक भुगतान शामिल है। जहां भी संभव हो 6 माह के भीतर भुगतान प्रणाली को 'इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर' के माध्यम से शुरू करने के प्रयास किए जाएगें।

7.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालय एमडीए दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे और केन्द्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई को पहली सितम्बर, पहली दिसम्बर, पहली मार्च और पहली जून को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्राप्त दावे, निपटाए गए दावे और पिछली तिमाही के दौरान निर्धारित समय के भीतर दावों का निपटान न करने का भी उल्लेख करना होगा।

7.4 खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित दावा विवरणों को ध्यान में रखते हुए तिमाही आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग को निधि जारी की जाएगी। कार्यान्वयन के पहले वर्ष की पहली तिमाही हेतु निधि जुलाई 2010 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अग्रिम में जारी की जाएगी और उसके बाद पूर्व तिमाही में निपटाए गए वास्तविक दावों के आधार पर तिमाही आधार पर निधि जारी होगी।

7.5 खादी और ग्रामोद्योग आयोग संबंधित तिमाही के एमडीए दावों के निपटारे हेतु निर्धारित तारीख का अनुसरण करते हुए माह की 15 तारीख तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन सभी कार्यालयों हेतु संस्थाओं के एमडीए अनुदान की उपयोगिता और वितरण के बारे में समेकित सूचना देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को एक तिमाही प्रतिवेदन भेजेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर एमडीए राशि जारी की जाएगी।

7.6 खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा योजना निधि उपयोगिता की समीक्षा के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमडीए अनुदान की उपयोगीकरण की भी समीक्षा होगी। एमडीए दावों की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) द्वारा भी 'आंतरिक लेखा परीक्षा' की जा सकती है।

8 अंतिम स्टॉक

8.1 अंतिम स्टॉक की गणना निम्न प्रकार होगीः

अंतिम स्टॉक = प्रारंभिक स्टॉक+उत्पादन+खरीद(-) बिक्री (खुदरा बिक्री + थोक बिक्री)

8.2 राज्य/मंडलीय निदेशक अगले वर्ष हेतु उत्पादन, खुदरा बिक्री एवं थोक बिक्री के लिए लक्ष्यांकों की सिफारिश करते समय कड़ाई से फार्मूले का पालन करेंगे ताकि पिछले वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक के संचय को रोका जा सके।

8.3 संस्थाएँ वित्तीय वर्ष पूरा होने के तुरन्त पश्चात 31.03.2010 को अंतिम स्टॉक की स्थिति राज्य/मंडलीय निदेशक को संस्था के प्राधिकृत कार्यालय अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ स्टॉक लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा यथावत हस्ताक्षरित एक वार्षिक स्टॉक विवरण (केंद्रवार) के रूप में प्रस्तुत करेगी।

8.4 राज्य/मंडलीय निदेशक लेखा परीक्षा एवं तकनीकी मॉनीटरिंग निरीक्षण करते समय आकस्मिक जांच/परीक्षा आयोजित करने के लिए क्रमशः लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ/खादी प्रकोष्ठ के माध्यम से इस पहलू पर उचित जांच/मॉनीटरिंग सुनिश्चित करेंगे।

8.5 अंतिम स्टॉक की स्थिति को चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलनपत्र से भी अभिप्रमाणित किया जाएगा।

8.6 राज्य/मंडलीय निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्था ने अपने संबंधित कार्यालयों को समय से वार्षिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत किया है कि इसे बजट चर्चा रिकार्ड नोट में भी रिकार्ड किया जाएगा।

8.7 वर्ष 2010-11 की बजट चर्चा के लिए केवीआईसी द्वारा निर्धारित फार्मूला के आधार पर 31.03.2011 को अंतिम स्टॉक की स्थिति को दिनांक 31.03.2010 को अंतिम स्टॉक की स्थिति से तुलना करने पर घटाया/नियंत्रित किया जाएगा। केवीआईसी अंतिम स्टॉक स्थिति के संचयन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए या तो अगले वर्ष हेतु लक्ष्यों में कमी करने के रूप में या एमडीए की कुछ निश्चित प्रतिशत को रोककर एक प्रोत्साहनीय/गैर प्रोत्साहनीय योजना बनाएगा।

9 एमडीए के उपयोग की अवधि

कुछ उद्देश्यों जैसे आधुनिकीकरण, मरम्मत, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि हेतु एमडीए के उपयोगीकरण में एक वर्ष से ज्यादा का समय लगेगा। ऐसे मामलों में खादी संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य स्तरीय बजट टीम (एसएलबीटी) से विशिष्ट स्वीकृति के साथ वास्तविक प्राप्ति की तारीख से 2 वर्ष तक एमडीए खर्च करने की अनुमति होगी। एमडीए राशि को प्रभावी तरीके से व्यवस्थित करने के संबंध में, संस्थाओं

द्वारा एक अलग से बैंक खाते का रख-रखाव करना अनिवार्य होगा, जिसका खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

10 एमडीए दावों हेतु प्रलेखीकरण

निर्धारित प्रारूप (अनुबंध - I, II, III, IV एवं V) के अनुसार विस्तृत दावों की प्रस्तुति पर पात्र संस्थाओं को एमडीए वितरित किया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय निदेशक प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् एक माह की अवधि के अंदर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम निदेशालय एवं लेखा निदेशालय को एमडीए दावों के निपटारों का तिमाही विवरण और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक पूरे वित्तीय वर्ष हेतु एक समेकित विवरण प्रस्तुत करेंगे।

11 उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना

11.1 एमडीए का उपयोग करने वाली खादी संस्थाएं वार्षिक रूप से पंजीकृत चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा दिए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगीं जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट की पंजीकरण संख्या और पते का साफ-साफ उल्लेख होना चाहिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारुप, दिशा-निर्देश इत्यादि समय-समय पर परिचालित किए जाएंगे। बदले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग फार्म 19 ए में सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि क्या विशिष्ट, मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक लक्ष्यांक जो कि उपयोग की गई राशि के समक्ष प्राप्त कर लिये जाने चाहिए थे, वास्तव में प्राप्त कर लिये गये हैं और यदि नहीं तो उसका कारण बताया जाए।

11.2 चार्टेड अकाउंटेंट से एमडीए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय यह आशा की जाती है कि वे वित्तीय उपयुक्तता, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों इत्यादि के अनुपालन, वित्तीय स्वीकृतियों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की राज्य स्तरीय बजट टीम की सिफारिशों आदि पर रिपोर्ट करें और वे अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लें कि ढांचागत सुविधाओं जैसे कि चरखों, करघों, कारीगरों की कच्चे माल की उपलब्धता, सहमति वाले क्षेत्रों पर एमडीए की उपयोगिता का सही-सही अनुपालन हुआ है एवं उक्त बिन्दुओं पर संतुष्ट होने के बाद ही वे उपयोगिता प्रमाण पत्र को अधिप्रमाणित करेंगे।

11.3 संबंधित चार्टेड अकाउंटेंट सीधे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालयों को संबोधित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिससे उत्तरदायित्व और प्रमाणिकता को सुनिश्चत किया जा सके।

12 उत्पादन पर विपणन विकास सहायता (एमडीए) की नमूना जांच/नमूना लेखापरीक्षा एवं मॉनीटरिंग

12.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग विपणन विकास सहायता (एमडीए) का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के संबंध में अपनी लेखा परीक्षा टीमों के माध्यम से विपणन विकास सहायता (एमडीए) दावों की नमूना जांच/नमूना लेखापरीक्षा आयोजित करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऐसी जांच लेखा परीक्षा/जांच के लिए अधिकार अपने पास रखेगा और किसी भी दुरुपयोग के मामले में वह खादी संस्था/खादी और ग्रामोद्योग मंडलों की पूर्ण लेखा परीक्षा के लिए आदेश दे सकता है। विपणन विकास सहायता (एमडीए) दावों की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा भी 'आंतरिक लेखा परीक्षा' हो सकती है।

12.2 जैसा कि एमडीए हेतु राशि सार्वजनिक निधि से दी जाएगी, इसलिए भारत का नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक कार्यालय लेखा परीक्षा/जांच या अन्य, जैसा उस कार्यालय द्वारा निश्चित किया जाए, को आयोजित करने का अधिकार अपने पास रखेगा।

13 राज्य सरकार रिबेट/सब्सिडी

13.1 विपणन विकास सहायता (एमडीए) पूरे देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड दोनों से संबंद्ध खादी संस्थाओं के लिए एक समान लागू है। उसी प्रकार, राज्य सरकारें भी संबंधित राज्य में स्थित खादी संस्थाओं को सब्सिडी/रिबेट प्रदान करती हैं। इस प्रकार राज्य सरकार संबंधित राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी और ग्रामोद्योग मंडलों दोनों से संबद्ध सभी खादी संस्थाओं को वास्तविक खुदरा बिक्री पर रिबेट देती है। यदि राज्य सरकार उत्पादन सब्सिडी के स्थान पर एमडीए अपनाने की इच्छुक है तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एमडीए के लिए परिभाषित उत्पादन की गणना राज्य सरकार द्वारा दी जानी वाली सब्सिडी हेतु की जा सकती है।

13.2 राज्य सरकारी रिबेट/सब्सिडी को निपटाने के संबंध में राज्य बोर्ड प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुसार संबंधित राज्य/मंडलीय कार्यालयों से एमडीए के उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त कर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं।

14 विपणन विकास सहायता (एमडीए) के हस्तांतरण में विवादों का निपटारा

14.1 उत्पादक संस्था द्वारा अन्य पणधारियों (स्टेकहॉल्डर), विशेष रूप से बिक्री संस्था को एमडीए के गैर-हस्तांतरण अथवा अनुपयुक्त हस्तांतरण के मामले में पणधारियों को ऐसे लेन-देन को तुरंत (लेन-देन के एक माह के अंदर) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय निदेशकों के ध्यान में लाना चाहिए, जो तत्काल एमडीए के उचित हिस्से के हस्तांतरण के लिए उत्पादक संस्थाओं को निदेश देंगे। यदि खादी उत्पादक संस्थाएं राज्य/मंडलीय निदेशक के निर्देशों का पालन नहीं करती तो वह (राज्य/मंडलीय निदेशक) खादी उत्पाक संस्थाओं के दावे से धनराशि की कटौती करेंगे और इसे बिक्री संस्थाओं सहित पणधारियों को भेज देंगे।

14.2 पहले लेन-देन के लिए कोई भी दंड नहीं लगाया जाएगा और उसके बाद के लेन-देन के लिए राज्य/मंडलीय निदेशक लेन-देन की तारीख से गणना करके 5 प्रतिशत ब्याज के साथ पात्र एमडीए धनराशि की वसूली की व्यवस्था करेंगे एवं कारीगरों और बुनकरों तथा बिक्री संस्थाओं को भुगतान करेंगे।

1.4.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकारी होंगे और सभी संस्थाएं उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगी।

* * *

अनुबंध - ‘ क ’

रिबेट और एमडीए घटकों की तुलना

एमडीए घटक	**रिबेट घटक**
कच्चे माल की लागत + प्रोसेस वेस्टेज, कारीगर प्रोत्साहन राशि और कारीगर कल्याण निधि आदि सहित कताई/रीलिंग और बुनाई प्रभार। + प्रोसेस वेस्टेज के साथ वेट प्रोसेसिंग अर्थात् ब्लीचिंक, डाइंग, मर्सराइजिंग, फिनिशिंग एवं प्रिंटिंग प्रभार + मुख्य लागत पर अनुमन्य प्रावधान जैसे व्यापारिक खर्चे, बैंक ब्याज, बीमा आदि ’ + मुख्य लागत पर मान्य मार्जिन (स्थापना खर्च पूरा करने के लिए)	कच्चे माल की लागत + प्रोसेस वेस्टेज, कारीगर प्रोत्साहन राशि और कारीगर कल्याण निधि आदि सहित कताई/रीलिंग और बुनाई प्रभार। + प्रोसेस वेस्टेज के साथ वेट प्रोसेसिंग अर्थात् ब्लीचिंक, डाइंग, मर्सराइजिंग, फिनिशिंग एवं प्रिंटिंग प्रभार + मुख्य लागत पर अनुमन्य प्रावधान जैसे व्यापारिक खर्चे, बैंक ब्याज, बीमा आदि ’ + मुख्य लागत पर मान्य मार्जिन (स्थापना खर्च पूरा करने के लिए) **कपड़े के रेडीमेड में परिवर्तन हेतु डिजाइनिंग, कसीदाकारी आदि सहित मूल्य संवर्धन प्रभार**

*** मुख्य लागत** = कच्चे माल की लागत + कोरे कपड़े में परिवर्तन का प्रभार + प्रोसेसिंग प्रभार